रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 2004/वैशाख 17, 1926
No. 97] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2004/VAISAKHA 17, 1926

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2004

आ.अ. 119(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से सम्बन्धित तारीख 20 अप्रैल, 2004 की अपनी अधिसूचना सं. 434/दिल्ली-लो.स./2004(1) में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अधिसूचना संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में 2-दक्षिण दिल्ली के सामने क्रम संख्या 10, 11, 12 और 13 की प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा और शेष प्रविष्टियों के तदनुसार पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ-2 में मद संख्या 1-नई दिल्ली के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः जोड़ी जाएंगी :—

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
1-नई दिल्ली	8. अधीक्षक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, एन्ड्रयूज गंज, नई दिल्ली।
	9. खाद्य आपूर्ति अधिकारी, सर्किल नं. 4, सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, सामाजिक कल्याण निदेशालय, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
	10. खाद्य आपूर्ति अधिकारी, सर्किल नं. 5, कॉटेज नं. 8, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
	11. अधीक्षक, उच्चतर माध्यमिक सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नं. 2, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

[सं. 434/दिल्ली-लो.सं. /2004(1)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2004

O.N. 119(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 434/DL-HP/2004(1), dated 20th April, 2004 relating to the appointment of Assistant Returning Officers for Parliamentary Constituencies in the National Capital Territory of Delhi, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification, against item No.2-South Delhi the entries at Sl. Nos. 10, 11, 12 and 13 shall be deleted and the remaining entries shall be renumbered accordingly.

Again in column 2 of the Table appended to the said notification, against item No. 1-New Delhi, after the existing entries, the following entries shall respectively be added.

Returning Officer for Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1-New Delhi	8. Superintendent, Govt. Boys Sr. Sec. School, Andrews Ganj, New Delhi.
	9. Food Supply Officer, Circle No. 4, Stitching Training Centre, Directorate of Social Welfare, Lajpat Nagar, New Delhi.
	10. Food Supply Officer, Circle No. 5, Cottage No. 8, Kasturba Niketan, Lajpat Nagar, New Delhi.
	11. Superintendent, Govt. Co-Edn. Sr. Sec. School, No. 2, Lajpat Nagar, New Delhi.

[No. 434/DL-HP/2004(1)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2004

आ.अ. 120(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी अधिसूचना सं. 434/दिल्ली-लो.स./2004(1) तारीख 17 फरवरी, 2004 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद सं. 4-पूर्व दिल्ली और 6-दिल्ली सदर के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित तत्स्थानी प्रविष्टियां क्रमशः जोड़ी जाएंगी।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
4-पूर्व दिल्ली	25. उप निदेशक, डी.डी.ए.।
	26. उप निदेशक, उद्योग विभाग, जी.एन.सी.टी.डी.।
	27. उप सचिव, एल. एण्ड बी., विभाग, जी.एन.सी.टी.डी.।
6-दिल्ली सदर	18. उपायुक्त (यातायात), जी.एन.सी.टी.डी.।

ये निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने में तत्काल बाद सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में कार्य करना बन्द कर देंगे।

[सं. 434/दिल्ली-लो.स./2004(1)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2004

O.N. 120(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 434/DL-HP/2004(1), dated 17th February, 2004 relating to the appointment of Assistant Returning Officers for Parliamentary Constituencies in the National Capital Territory of Delhi, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification, against item No. 4-East Delhi and 6-Delhi Sadar after the existing entries the following corresponding entries shall respectively be added.

Returning Officer for Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
4-East Delhi	25. Deputy Director, DDA.
	26. Deputy Director, Industries, Department, GNCTD.
	27. Deputy Secretary, L and B, Department, GNCTD.
6-Delhi Sadar	18. Deputy Commissioner (Transport), GNCTD.

They shall cease to function as ARO immediately after the completion of election process.

[No. 434/DL-HP/2004(1)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.